

[This question paper contains 8 printed pages.]

1239

Your Roll No.

आपका अनुक्रमांक _____

LL.B.

JS

I Term

Paper LB-104 – CRIMINAL LAW – I (NC)

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 100

समय : 3 घण्टे

पूर्णांक : 100

(Write your Roll No. on the top immediately
on receipt of this question paper.)

(इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित
स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।)

Note :- Answers may be written either in English or in Hindi; but
the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी :- इस प्रश्नपत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी किसी एक भाषा में
दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

Attempt **Five** questions including
Question No. 1 which is compulsory
and at least **one** question from Part II.
All questions carry equal marks.

अनिवार्य प्रश्न क्रमांक 1 सहित कुल पाँच प्रश्न हल कीजिये।

भाग II में से कम-से-कम एक प्रश्न करना जरूरी है।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

P.T.O.

1239

2

PART I (भाग I)

1. Answer briefly any **four** of the following :

- (a) Essential elements of a crime.
- (b) Plea bargaining as a measure to reduce arrears in courts.
- (c) Intoxication as a ground of defence.
- (d) Essentials of a fair criminal trial.
- (e) Hierachy of criminal courts in India.

निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

- (क) अपराध के आवश्यक तत्व ।
- (ख) न्यायालयों में बकाया पड़े मामलों में कमी लाने के एक उपाय के रूप में हल्का दोष कबूल करना ताकि सजा देते समय नरमी बरती जाए ।
- (ग) प्रतिरक्षा के आधार के रूप में मत्तता ।
- (घ) ऋजु आपराधिक विचारण के मर्मभूत ।
- (ङ) भारत में आपराधिक न्यायालयों का उत्क्रम ।

2. "Insisting upon the existence of mens-rea to punish persons for violation of Public welfare legislations may frustrate the purpose of these Acts and the object for which they have been enacted." Comment in the light of decided cases in India.

"लोक कल्याण विधानों के अतिक्रमण हेतु व्यक्तियों को दंडित करने के लिए आपराधिक मनःस्थिति की मौजूदगी पर बल देने से इन

1239

3

अधिनियमों का प्रयोजन और जिस उद्देश्य के लिए इन्हें अधिनियमित किया गया था वह उद्देश्य ही नष्ट हो सकता है।" भारत में विनिश्चित केशों के आलोक में टिप्पणी लिखिए।

3. (a) During rainy season all employees used to hang their Umbrella's in a stand meant for it. A also hung his Umbrella. While leaving, A took the only Umbrella left in the stand thinking that it is his own, but in fact it was of Y. Can A be prosecuted for the offence of theft or not. Give reasons to substantiate your answer.
- (b) 'X' tried to assault 'Y' with a dagger. Y caught hold of him and said the matter will be reported to police. X retorted to Y with the words, that it can happen only if you are "alive" and inflicted blow on Y and killed him.

While prosecuting X for murder he takes the plea of "Paranoia". Will X succeed or not.

- (क) वर्षा के मौसम में सभी कर्मचारी अपने छाते छातों के लिए बने स्टेन्ड पर टांगा करते थे। A ने भी अपना छाता वहां टांग दिया। जाते समय A वहां टंगे एकमात्र छाते को अपना स्वयं का समझते हुए ले गया, किन्तु वास्तव में वह छाता Y का था। क्या A पर चोरी हेतु अभियोग चलाया जा सकता है अथवा नहीं। अपने उत्तर की पुष्टि में तर्क दीजिए।
- (ख) X ने खंजर से Y पर हमला करने का प्रयास किया। Y ने उसे पकड़ लिया तथा कहा कि मामले की रिपोर्ट पुलिस में की जाएगी। X ने Y को इन शब्दों में जवाब दिया - यह तभी हो सकता है

P.T.O.

जब आप जीवित रहोगे। उसने Y पर प्रहार कर दिया तथा उसे मार डाला।

हत्या के अभियोग के चलते X "संविभ्रम" होने का अभिवचन करता है। क्या X उसमें सफल होगा या नहीं ?

4. (a) Explain the concept of Right of private defence. State the circumstances in which right of private defence of property extends to the causing of death of an assailant.

(b) During a foot-ball match fight took place between members of two teams. Mr. X the member of team A received number of injuries. X shot at the assailants of the opposite team (B) however the bullet hit an innocent person (T) a bystander killing her.

In the prosecution case X takes the plea of right of private defence. Can he succeed.

(क) 'प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार' संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनमें सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार आक्रमणकारी की मृत्यु कारित करने तक हो सकता है।

(ख) एक फुटबाल मैच के दौरान दो टीमों के सदस्यों के बीच मारपीट हो गई। A टीम के सदस्य मि. X को कई चोटें लग गईं। X ने विरोधी टीम B से आक्रमण करने वालों पर गोली चला दी, पर गोली एक पास खड़ी निर्दोष दर्शक को लग गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

अभियोजन के केस में X ने प्राइवेट प्रतिरक्षा का अभिवाक् किया। क्या वह सफल हो सकता है ?

5. (a) "The essential distinction between Section 34 and 149 of Indian Penal code is between 'participation' and 'membership' respectively." Discuss.

(b) A, B, C and D attacked E a lady who was allegedly having illicit relationship with X. A inflicted an injury on the backside of E near her shoulder with a weapon uttering words "die with this". B gave blow with a gandasa on the right side of the head while C and D gave blow on the neck. Thereafter, all ran away E died on spot. Medical examination confirmed death due to head injury.

While all four (A, B, C and D) are being prosecuted for causing death to E. C and D take the plea that injury caused by them is not fatal hence should not be held liable for death of E along with others.

Is the plea of C and D acceptable as per law, if not, give reasons.

(क) भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 149 के बीच सारभूत भेद क्रमशः "सहभागिता" और "सदस्यता" के बीच का है। विवेचन कीजिए।

(ख) A, B, C और D ने एक महिला E पर हमला कर दिया कथित तौर पर जिसके X के साथ अवैध सम्बन्ध थे। A ने हथियार से E की पीठ पर कंधे के पास "ले मर" शब्द बोलते हुए चोट मार दी। B ने उसके सिर की दाहिनी ओर गंडासे से प्रहार किया जबकि C तथा D ने उसकी गर्दन पर मुक्के मारे। इसके बाद वे सभी भाग गए। E की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। चिकित्सकीय परीक्षण से सिर की चोट के कारण मृत्यु की पुष्टि हो गई।

P.T.O.

सभी चारों (A, B, C और D) पर E की मृत्यु कारित करने के लिए अभियोग चलाएं जाने के दौरान C तथा D ने अभिवचन किया कि उनके द्वारा कारित चोट घातक नहीं थी अतः अन्य के साथ उन्हें E की मौत के लिए दायित्वाधीन नहीं माना जाना चाहिए। क्या कानून के अनुसार C और D का अभिवचन स्वीकार्य है, यदि नहीं तो इसके कारण निर्दिष्ट कीजिए।

6. (a) Mr. P a manager of a Transport Firm in collusion with a spareparts dealer attempted to show false delivery of spare parts to his firm by forging the signatures of his Managing Director on the invoice after which it will be presented for payment. Mr. P was caught when he himself had not signed the challan evidencing receipt of goods.

Mr. P is being prosecuted for offence of attempt to cheat under section 420 read with 511 of Indian Penal code. Will the prosecution succeed, give reasons.

- (b) "It is not necessarily the penultimate act towards the commission of an offence which makes a person guilty of attempt to commit that offence, but the act must be one which the offender has committed during the course of the commission of that offence". Comment in the light of Supreme Court decisions.

- (क) एक ट्रांसपोर्ट फर्म के प्रबन्धक मि. P ने स्पेयर पार्ट्स के व्यापारी के साथ मिलकर बीजक पर अपने प्रबन्ध निदेशक के हस्ताक्षरों की कूटरचना करके अपनी फर्म को स्पेयर पार्ट्स की मिथ्या डिलीवरी दर्शाने का प्रयास किया। बीजक को बाद में भुगतान हेतु पेश किया जाएगा। जब मि. P ने माल की प्राप्ति को प्रमाणित

करने वाले चालान पर हस्ताक्षर नहीं किए तब उसे पकड़ लिया गया।

मि. P पर भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 420 के तहत छल का प्रयास करने के लिए अभियोग चलाया जा रहा है। क्या अभियोजक सफल हो पाएंगे? कारण दीजिए।

- (ख) “किसी अपराध को करने की दिशा में पूर्वान्तिम कृत्य ही अनिवार्यतः नहीं होता है जो किसी व्यक्ति को उक्त अपराध को करने का प्रयास करने का दोषी बनाता है बल्कि वह कृत्य ऐसा होना चाहिए जिसे अपराधी ने उक्त अपराध को करने के दौरान किया हो।” उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों के आलोक में टिप्पणी लिखिए।

PART II (भाग II)

7. (a) “Constitutional Mandate pertaining to right of an accused person have been fully incorporated in procedural law of the land and followed by courts”. Discuss.
- (b) What is “inquest”? When is it made? Point out the changes made to it by Criminal Procedure Code (Amendment) Act, 2005.
- (क) “अभियुक्त व्यक्ति के अधिकार से सम्बन्धित सांविधानिक आदेश को देश की प्रक्रियात्मक विधि में पूरी तरह समाविष्ट किया गया है और न्यायालयों द्वारा अनुसरित किया गया है।” विवेचन कीजिए।
- (ख) “मृत्यु-समीक्षा” क्या होती है? यह कब की जाती है? दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा इसमें किए गए परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए।

P.T.O.

8. (a) "Bail in non-bailable offences is mostly discretionary hence it is required to be exercised with great care and caution by balancing valuable rights of liberty of an individual and the interest of the society in general". Discuss.
- (b) Can the statement of a witness before investigating officer be used as evidence? Comment.
- (क) "गैर-जमानती अपराधों में जमानत प्रायः विवेकाधीन होती है, अतः इस बात की जरूरत है कि किसी व्यक्ति के स्वातंत्र्य के मूल्यवान अधिकारों तथा आमतौर पर समाज के हित के साथ सन्तुलन बनाते हुए अत्यधिक सावधानी व सतर्कता बरती जाए।" विवेचन कीजिए।
- (ख) क्या अन्वेषण करने वाले अधिकारी के समक्ष साक्षी के बयान को प्रमाण के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है? टिप्पणी लिखिए।